[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 7th November, 2013]

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर, 2013

संख्या 1/18/88-2एच0बी0 II-97.—गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 57), की धारा 17 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या 1/18/88-2एच०बी०-II-97, दिनांक 4 मार्च, 2009 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला के लिये समुचित प्राधिकरण तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करते हैं जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

1.	सिविल सर्जन	अध्यक्ष
2.	जिला प्रोग्राम अधिकारी महिला तथा बाल विकास विभाग	सदस्य
3.	जिला न्यायावादी	सदस्य

नवराज सन्धु,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 5 नवम्बर, 2013

51661—C.S.—H.G.P., Chd.